

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यवाही सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
208/2011	53,88,89,91A,188 RTA	काबरखो	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राधेश्याम	बनाम	पवन वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15-12-11	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91A,188 RTA, विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.01.2012 को पेश हो।	
3-1-12	आज पीनाना न्यायालय के दौरे में न्यायाधीश का पर होन के कारण पत्रावली दिनांक 14-2-12 का पेश हो।	
14-2-12	पत्रावली पेश हुई थी राठे उर्फ तलब एवम् की तलब दुर्गेश के तलब से जाने के कारण अभिभाषक द्वारा कन्टैक्ट किया श्री पत्रावली जाने तलबी दिनांक 26-3-12 को पेश हो।	
26-3-12	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उर्फ जर्ज वादी की तलबी से तलबनाक आठ ही पत्रावली जाने तलबी दिनांक 7-5-12 को पेश हो।	
7-5-12	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली जाने तलबी दिनांक 25/6/12 को पेश हो।	
25-6-12	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उर्फ जर्ज वादी की तलबी से तलबनाक पेश की पत्रावली जाने तलबी दिनांक 6-8-12 को पेश हो।	

दिनांक

28⁶/17

पञ्जावली कागज - मोझालप हजिा पर पेका
होने पर, वल्लुलार फरीदेक को कावज
लगवई गई, वल्लुलार फरीदेक उपस्थित
आये, आपसी सहमति से विभाजन करवाना
चाहते हैं, वल्लुलार फरीदेक युगवक,
पञ्जावली का विद्यजन विद्या, रापत,
विस्तृत निर्माण उत्पन्न मखिरा आकर
शाहिल मारुल विद्या, निर्माण युगवक
राधा / तदनुसार डिप्टी परचो आदी विभाजन

राज्य लोक अदालत
न्याय आर्क द्वारा 2017
अति-आवश्यक

28/17

27/17

तहसीलदार छबड़ा के पत्रांक 25/7/17 के अनुसार
वाहिन बेबीधन कावेत जारी दिने गयी
उति तहसील डार छबड़ा को उलित की

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारा (रा)

कार्यालय असासे जा. कलेक्टर छबड़ा

क्रमांक 1205-06

दिनांक 27/7/17

केरोपेन आदेश

न्यायालय हाजा वाण क्र. 206/11 इतयान सधेश पात्र 4/5 पवन मे. जारी की गयी प्राथमिक डिप्टी दि. 28/6/2017 के पृष्ठ सं. 2 पर वाणील लाइन नम्बर-6 पर अशुद्ध रूप से ग्रह लिखा है " (मृतक) राम प्रसाद का. मुं. राम प्रसाद जयराज, हरिसिंह, जगमोहन, बून्दा वाई गापत्री वाई, काली वाई. पत्नी का हिस्सा 1/6 " इसके त्वा. पर शुद्ध किया जाकर ग्रह पड़ा जावे :-

" (मृतक) राम प्रसाद का. मुं. :- राधेश्याम. जयराज हरिसिंह, जगमोहन, बून्दा वाई, गापत्री वाई, काली वाई पत्नी का हिस्सा 1/6 " तदनुसार राम का रेकार्ड मे कमल चरामर होवे ✓

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 1205-06

दिनांक 27.7.17

प्रतिनिधि तहसील डार छबड़ा को पत्रांक दिनांक 24/7/17 के अ-दम. के प्रेषित हो ✓

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारां (राज.)

निर्माण न्यायालय उपखण्ड कार्यकारी कार्यालय
श्री गोकुलनाथ नागर RAS द्वारा अध्यापित

दस्तावेज नम्बर :- 206/2011

दापरा दिनांक :- 15/12/2011

निर्माण दिनांक :- 28/6/2017

उपस्थान

- (1) शंकरनाथ आत्मज राम प्रसाद आदि मीना निवासी कायदरको
- (2) जयनाथ आत्मज राम प्रसाद आदि मीना निवासी कायदरको
- (3) हरी सिंह आत्मज राम प्रसाद आदि मीना निवासी कायदरको

प/स.

(सिद्धि)

- (1) पवन शं. चम्पा लाल मीना नि. कायदरको
- (2) पिकू शं. बेरी लाल आदि मीना नि. कायदरको
- (3) रघुवीर शं. नन्दकिशोर मीना नि. कायदरको
- (4) चम्पा लाल शं. घोसी मीना नि. कायदरको
- (5) गायत्री आ. राम प्रसाद मीना नि. कायदरको
- (6) सुन्दर आ. राम प्रसाद मीना नि. कायदरको तहसील हनुमानगढ़
- (7) केचन वरि शं. बलराज मीना नि. हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़
- (8) व्यापक शं. सुन्दर लाल मीना नि. धामनिधी तहसील हनुमानगढ़
- (9) वदय वरि शं. बेरी लाल मीना नि. धामनिधी तहसील हनुमानगढ़
- (10) अमरेश्वर पिता राम प्रसाद मीना नि. कायदरको
- (11) काली वरि बेरी राम प्रसाद मीना नि. कायदरको
- (12) बेरी शं. घोसी मीना निवासी कायदरको
- (13) नन्दकिशोर आ. घोसी मीना नि. कायदरको
- (14) कजोड शं. घोसी मीना नि. कायदरको
- (15) बनेश शं. घोसी मीना नि. कायदरको
- (16) शरकर जी तहसील हनुमानगढ़ (उपनिवासी गण)


वा. धारा 53, 88, 89, 91, 188 RTA निरन्तर-2

उप जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़ जिला वाराँ (राज.)

(2)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सन्निध मे विवरण इस प्रकार से है कि वाले ग्राम कावदरसो मे खसरा नम्बर $\frac{7}{40}$, $\frac{8}{82}$, $\frac{23}{110}$, $\frac{30}{511}$, $\frac{33}{1103}$, $\frac{38}{807}$, $\frac{39}{1103}$, $\frac{40}{204}$, $\frac{41}{309}$, $\frac{42}{018}$, $\frac{43}{0104}$, $\frac{44}{0103}$, $\frac{45}{0101}$, $\frac{46}{252}$, $\frac{47}{548}$ कित्ता 11 रकवा 20 बीघा। कित्ता एवं खसरा नं. $\frac{48}{110}$ पेट्रिक आराजी हियत है। वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 आये दिन वादीगण के कब्जे का कृषि आराजी मे दरपल आन्दारी करते हुए मेडे को तोडते है तथा धमकी देते है। आये दिन अगडे होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी गण सम० टी० जालि के लोग है। वहिनो का नाय शक्ति से हत्याकर आराजी का बटवारा चाहते है, एवं प्रतिवादीगण को हत्या के विधवासा से पाषण्ड करपाण चाहते है वादीगण के कब्जे का कृषि मे दरपल आन्दारी नही करे।

वादीगण का वाद पत्र धारा 53, 88, 89, 91A, 188 RTI अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्मे सम्मन तलय किया गया, प्रकरण मे निपत दिनांक 19/11/2016 को प्रतिवादी गण स० 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 उपस्थित आये जर्मे उभरि आसक शर शक्ति कुमाद गाणक, जवाब दावा मय कोउन्दर कलेम के पेश किया। जवाब दावा मे उल्लेखित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण के पेशक एवं शाम लाती मे खरीदी गई अधिपात कुल परिवार मे वाके माल कावदरसो कित्ता 11 रकवा 20.01 एवं कित्ता 8 रकवा 1.10 एवं 1 कित्ता 2.01 एवं कित्ता 2 रकवा 4.06 कित्ता तथा माल. अजजलपुरा कित्ता 7 रकवा 20.15 बीघा;


28/06/17

निरतार- 3

(5)

प्रकरण में निम्न दिनांक 19/1/2016 को वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी न. 7, 8, 9, 10 से कोई अनुतोष कि आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको तलब करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार तलबी बन्द की गयी, है। तदुपरान्त वादीगण की ओर अर्ध अधिभाषण की रोलतराफ मीना द्वारा प्रकरण में निम्न दिनांक 3/3/16 कथन कहा कि अवापतुल पेश करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् अवापतुल अर्पण बन्द किया जाकर प्रकरण में तनकीपान कायम की गयी, निम्न दिनांक 5/4/16 से अनेक अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य वादी पेश नहीं करने के कारण निम्न दिनांक 28/3/2017 को साक्ष्य वादी बन्द किए जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु सप्त दिना राया, लेकिन साक्ष्य प्रतिवादी की निम्न दिनांक 8/6/2017 तक पेश नहीं की है। प्रकरण में आज निम्न दिनांक को वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित है, दोनों अधिभाषण गणों का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के शवातो में जो आराजी है, 10 शवातो में है एवं 5 शामो में है, मृतक दामोदरलाल के कुल 6 वारिसान में हिस्सा $\frac{1}{6}$ मोरके कब्जे को ध्यान में रखते हुए हिस्सा प्रत्येक-प्रत्येक कर दिया जाये, विभाजन करारों के लिए दोनों अधिभाषण गण सहमत हैं। कुल शवातो की नकले भी प्राप्त की हैं - निरन्तर - 6

 28/06/17

उप जिला कलेक्टर
 छकड़ा जिला बारा (राज.)


(6)

विज्ञान अभिभाषक वादीगण के अंतर्गत दोलतराम मीणा एवं विज्ञान अभिभाषक, प्रतिवादीगण के अंतर्गत शंकर-कुमार बालव. काउन्टर क्लेम में वार्षिक आराजी का आपसी सहमति से विभाजन करवाया जाते है. उभय पक्षों को सुनकर, पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अध्ययन कर तहसील हबल के 5 ग्राम में कुल 10 खेतों में वार्षिक आराजी, मृतक - धोसीलाल के 6 वारिमान में हिस्सा $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$ अंश प्रत्येक-प्रत्येक करने के आदेश निम्नानुसार दिये जाते हैं।

किताबत आदेश

आपसी- सहमति से निम्नानुसार विभाजन किया जागा है।

अंराजी ग्राम- कावरखो खेता सं. 18/11 खसरा नं. $\frac{7}{4.11}, \frac{8}{1.03}, \frac{23}{0.07}, \frac{30}{1.03}$
 $\frac{33}{2.04}, \frac{38}{3.09}, \frac{39}{0.18}, \frac{48}{0.04}, \frac{82}{0.03}, \frac{110}{0.01}, \frac{252}{5.18}$ किता- 11 रकबा 20.01 बीघा
 खेता सं. 19/18 खसरा नं. $\frac{174}{2.01}$ एवं खेता सं. 20/10 खसरा नं. $\frac{41}{1.10}$ एवं
 ग्राम :- अफजलपुरा खेता सं. 12/11 खसरा नं. $\frac{51}{8.12}$ पा. 51, $\frac{53}{3.11}$ पा. 53, $\frac{53}{4.11}$ पा. 53
 $\frac{53}{4.11}, \frac{63}{4.11}, \frac{93}{0.18}$ पा. 94, $\frac{111}{1.04}$ पा. 112, $\frac{112}{1.08}$ किता - 7 रकबा 20.10 बीघा
 खेता सं. 13/12 खसरा नं. $\frac{113}{0.06}$, खेता सं. 30/17 खसरा नं. 5
 $\frac{68}{2.04}$ पा. 73 किता- 2 रकबा 4.07 बीघा, खेता सं. 42/39 खसरा नं. 5
 नम्बर- $\frac{70}{3.06}$ एवं ग्राम :- खेवरखेडा लक्ष्मण खेता सं. 4/5 -
 निरगत - 7


 28.06.17
 जय जिला कलेक्टर
 छबड़ा जिला थाना (राज.)

दावा नं. २०६/११ शोध शपाय/पत्र

राजकीय लोक अदालत अभियान
- न्याय आपके द्वार २०१७
अति-आवश्यक

(ग)


खसरा नम्बर. $\frac{17}{9.00}$, $\frac{21}{9.16}$ किता - २ रकवा १८.१६ बीघा.

एवं ग्राम: पाली खाली स. ७२/६८ खसरा नम्बर -

$\frac{315}{2.06}$ एवं ग्राम: - चांदपुरा खसरा नं० $\frac{177}{1.00}$, $\frac{178}{7.13}$

$\frac{179}{0.09}$ किता - ३ रकवा १.०२ बीघा. समस्त रकबे में

(मृतक) घोसी लील के पुत्राण :- (मृतक) रामप्रसाद का. मु. रामप्रसाद,
अपराम, हरिसिंह, जगदीश, बून्दा वई, गाजरीवई, कालीवई (पति)
का हिस्सा $\frac{1}{6}$ एवं बेसी लील का हिस्सा $\frac{1}{6}$ एवं चम्पा लील का
हिस्सा $\frac{1}{6}$ एवं (मृतक) नन्दसिंहर का. मु. शंभुवीर, शंभुराज, ललताकरी
फूलवाड़े, कमलाबाई का हिस्सा $\frac{1}{6}$ एवं केजोही लील का हिस्सा $\frac{1}{6}$
एवं रमेश का हिस्सा $\frac{1}{6}$, खातेदार कुषक कोषित किया
जाता है, तदनुसार इवडा को आदेशित किया जाता है
कि उक्त गुलद दर्ज राजस्व रकबे हिस्सा जयि, एवं कुमरा
हिस्सा $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ मोके पर कब्जा ध्यान रखते हुए
अच्छी मिसे अच्छी व बुरी मिसे बुरी के सिद्धांत अनुसार, मोके पर
रास्ते का ध्यान रखते हुए खाली विभाजन कर पत्थरगरी
कर हिस्से प्रत्येक-प्रत्येक कर कब्जा सम्भालपा जयि/निर्दिष्ट
सुलपा बापा, तदनुसार डिक्ली परचा जारी किया गया/इहं
वंक बयस्वर रहेगा।


28.06.17
उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारों (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)
डिक्री

206/2011

धारा अंतर्गत 53, 82, 89, 91, 148A

निर्णय दिनांक 28/6/2017

बारां नगरपालिका नगर RAS.

अभिभाषक वादी P. R. मीमा

अभिभाषक प्रतिवादी शक्ति शंकर शास्त्री

वाद शीर्षक

न्याय आयोग द्वारा 2017
अति-आवश्यक

(1) राधेश्याम पुत्र (2) जगदीश पुत्र (3) हरिसिंह पुत्र जग-शक्तिशंकर
आदि मीमा विवादी जग काकर खोड तहसील हाजा (वादीजग)

(1) पवन शंकर चम्पालाल (2) पित्र श. बेहीलाल (3) रघुवीर शंकर जगदशिव
(4) चम्पालाल शंकर-धोली, (5) गापनी-पुकी वादपहाड, (6) शंकरपुत्री वादपहाड,
सकता आदि मीमा विवादी जग काकर खोड (7) कचर करि मीमा वलराज
(8) धापा वाडे मीमा सुन्दर शंकर (9) वराम वाडे मीमा शंकर (10) अगोलाकर शंकर
पहाड, (11) कालीवाडे वेवा शंकर पहाड (12) बेहीलाल धोली पहाड नन्दशिव शंकर धोली
(13) कलाशंकर शंकर धोली (14) शंकर शंकर धोली सकता मीमा (15) सरकर शंकर-धोली
निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसृत डिक्री निर्गत की जाती है कि

न्याय आयोग द्वारा-2017 के रूप कोर्ट न्यायालय हाजा पर-कापसी सहमति
के निर्णयानुसार विभाजन किया जाना स्वीकार किया जाता है।

शंकर काकर खोड - खाता सं. 13/12 खसरा नं. 7, 8, 33, 30, 33
पहाड, 1.03, 0.07, 1.03, 2.04

38, 39, 48, 82, 110, 252 खाता-11 खसरा 2010 वीषा एवं
3.09, 0.08, 0.04, 0.03, 0.01, 5.18

खाता सं. 13/18 खसरा नं. 20, 20/10 खसरा नं. 41, 20
शंकर काकर खोड

शंकर शंकर जगदशिव - खाता सं. 12/10 खसरा नं. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
खाता सं. 12/10 खसरा नं. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

खाता सं. 13/12 खसरा नं. 173, खाता सं. 30/17 खसरा नं. 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
खाता सं. 13/12 खसरा नं. 0106, खाता सं. 30/17 खसरा नं. 2.04, 2.03

खाता सं. 13/12 खसरा नं. 0106, खाता सं. 30/17 खसरा नं. 2.04, 2.03
द्वारा 3.06 को प्रदान किया जायेगा

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28/6/17 को निर्गत किया गया।

उप जिला कलेक्टर
हस्ताक्षर
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

P.T.O.

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	न्याज (%)		
	योग		

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

(2)

शुभे ग्राम - रेवेर रेवेडा लक्ष्मण शकता सं. पी 5 शकता न. 17
 फिता - 2 शकता 18.16 वीजा शुभे ग्राम पाली
 72/68 शकता नम्बर 315 शुभे ग्राम चांदपुरा
 शकता न. 177, 178, 179 फिता - 3 शकता 9.02 वीजा
 7.13 0.89

समाप्त शकते में (मृतक) घोसीजील के पुत्रगण :- सुतक
 (मृतक) राम प्रसाद का. श्री राम प्रसाद अजबान, लक्ष्मिदे, अजबान
 बूरावई, गापनी वई, काली वई (पानि) का हिस्सा $\frac{1}{6}$ शुभे
 वैशीलाल का हिस्सा $\frac{1}{6}$ शुभे चम्पा लाल का हिस्सा $\frac{1}{6}$
 शुभे (मृतक) - नन्दकिशोर का. श्री शबुवीर, शबुविराम,
 ललता वई, शूल वई, काजला वई का हिस्सा $\frac{1}{6}$ शुभे
 कनौडी लाल का हिस्सा $\frac{1}{6}$ शुभे शमश का हिस्सा $\frac{1}{6}$
 पर शकतिशर कुछक घोषित फिषा जाता है -
 तदमीलदार दृषण को आदेशित फिषा जाता है कि -
 उस्ता गुजार कर शकता के कार्ड फिषा जसके पर -
 कुमशा हिस्सा $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ भोके पर -
 फाबजे का ध्यान रखते हुए अच्छी कसे फा-ही ध्य
 (शुभी कसे शुभी के सिदान्त अनुसार, भोके पर शकता
 का ध्यान रखते हुए शकता विभाग कर पत्वारशी
 कर, हिस्से पुनक कर फाबजा सम्भलाया जावे
 रहन के कर वरसूर रहेगा। तदनुसार डिफ्टि आरी फी।

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)